जनपद-संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 22.08.2024

दबिश के दौरान 02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **श्री सत्यजीत गुप्ता** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम **में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा** वारण्टी नाम पता 1- फिदा हुसैन पुत्र नूर मोहम्मद निवासी दुरुदफ्ती माफी थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री अवधेश सिंह यादव, का0 सत्येन्द्र कुमार सिंह।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा वारण्टी नाम पता 1- मो0 मुनीर पुत्र अनवारुल निवासी डिहवा थाना धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री गामा यादव, हो0गा0 रामप्रसाद।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 06 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना बखिरा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 06 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 50 वाहनों से 52,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 22.08.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 50 वाहनों से 52,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना दुधारा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले मे वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में *मिशन शक्ति अभियान* के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजीत चौहान*** के कुशल मार्गदर्शन में व प्रभारी निरीक्षक थाना दुधारा ***श्री जय प्रकाश दूबे*** के पर्यवेक्षण में ***थाना दुधारा पुलिस द्वारा*** मु0अ0स0 332/2024 धारा 376 भा0द0वि0 व ¾ पाक्सो एक्ट के मामले मे वांछित अभियुक्त मो0 इलियास पुत्र मो0 मारुफ निवासी नौवाडीह थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को कोहरियांवा मं रक्शा देवई गाँव को जाने वाले तिराहे के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि दिनांक 20.08.2024 को वादिनी द्वारा थाना स्थानीय पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था कि अभियुक्त द्वारा वादिनी की नाबालिग पुत्री के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की घटना कारित की गयी थी। थाना दुधारा पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर आज दिनांक 22.08.2024 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- प्रभारी निरीक्षक थाना दुधारा श्री जय प्रकाश दूबे, हे0का0 प्रमोद कुमार सिंह, का0 मनीष बरनवाल, का0 सोनू यादव।